न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः- **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.**

राजस्व वाद संख्या- 92/2025

वादी :-

1. पप्पूराम पुत्र पीराराम जाति सुथार निवासी ग्राम बाला तहसील बिलाड़ा हालनिवास प्लाट नं. 74 सारण नगर वार्ड नं. 57 शिव विहार कॉलोनी जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादी :-

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितिः-वादी - श्री मदन लाल चौधरी एडवोकेट।

प्रतिवादी सं. 1 - सरकारी पेरोकार।

निर्णय **दिनांकः-**09/03/26

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बाला, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 1073 रकबा 0.5501 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1358 रकबा 1.4400 हैक्टेयर, खसरा संख्या 723 रकबा 3.8913 हैक्टेयर, खसरा संख्या 791 रकबा 1.4319 हैक्टेयर, खसरा संख्या 973 रकबा 1.3025 हैक्टेयर कुल खसरा संख्या 5 कुल रकबा 8.6158 हैक्टेयर आई हुई है। जिसके खाता संख्या नये 640 व पुराने 542 चालु जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के अनुसार है। उपरोक्त खसरान की भूमि में वादी का 1/9 वां हिस्सा दर्ज है। जिसे वाद पत्र के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी का दर्ज हिस्सा की भूमि पूर्व में वादी के पिता पीराराम पुत्र गुमानराम के नाम दर्ज थी तथा पीराराम फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 243 द्वारा वादी के हिस्से की भूमि वादी के नाम दर्ज की गयी। वादी का नाम पपीया घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला नाम है, जबकि वादी का सही नाम पप्पू राम है। वादी के पिता पीरारामजी का फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज करते समय वादी के भाईयों पारसराम, नेमाराम व श्रवणराम द्वारा वादी का घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला नाम पपीया हल्का पटवारी को दर्ज करवा दिया गया तब से उक्त फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 243 के आधार पर वादी का नाम वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में पपीया दर्ज चला आ रहा है जबकि वादी का सही नाम पप्पू राम है। जिसके सम्बंध में वादी के निजी व सरकारी दस्तावेज आधारकार्ड, परिचय पत्र, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया की पासबुक, इण्डेन गैस कनेक्शन की डायरी, जल कनेक्शन का बिल, विद्युत कनेक्शन का बिल व रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 18.08.2021 वाद पत्र के साथ पेश है, जिसमें वादी का सही नाम पप्पू राम दर्ज है। वादी को वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी के पिता के फौतेदगी म्यूटेशन के जरिये वादी का घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला नाम पपीया राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज होने की जानकारी होने पर वादी द्वारा राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम पपीया के स्थान पर वादी के उपरोक्त निजी व सरकारी दस्तावेज अनुसार सही नाम पप्पू राम दुरुस्त किये जाने हेतु प्रतिवादी को निवेदन किया तो प्रतिवादी द्वारा वादी के निवेदन को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि इस हेतु प्रतिवादी सक्षम नही है, अपितु श्रीमान सक्षम है। इसलिए वादग्रस्त कृषि भूमि के

राजस्व रेकर्ड चालु जमाबन्दी में वादी का घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला दर्ज अशुद्ध नाम पपीया के स्थान पर वादी के उपरोक्त निजी व सरकारी दस्तावेजात के अनुसार सही/शुद्ध नाम पप्पू राम दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में बिना दुरूस्ती के वादी अपनी वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में किसी भी प्रकार की सरकारी सुविधाओं को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। क्योकि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी का दर्ज अशुद्ध नाम पपीया वादी के निजी व सरकारी दस्तावेज में दर्ज शुद्ध नाम पप्पू राम से मिलान नही करता है। इसलिए वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी का घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला दर्ज अशुद्ध नाम पपीया के स्थान पर वादी के उपरोक्त निजी व सरकारी दस्तावेज में दर्ज अनुसार सहीध्शुद्ध नाम पप्पू राम दुरूस्त किये जाने हेतु यह वाद बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। वादी का उसके पिता पीराराम के फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 243 के जरिये दर्ज अशुद्ध नाम पपीया समानसूचक नहीं होने के कारण भी वादी राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज अशुद्ध नाम पपीया के स्थान पर शुद्ध नाम पप्पू राम दुरूस्त करवाने का कानूनन अधिकारी है। वादग्रस्त कृषि भूमि की चालु जमाबन्दी में दर्ज अन्य सहखातेदार जितेन्द्र जांगिड़, दाखुदेवी, प्रेम, पारस, मंगलाराम, मदनलाल, मोवनी, श्यामलाल, सुरेन्द्र के विरूद्ध प्रस्तुत वाद में किसी प्रकार का अनुतोष नही चाहा है तथा चाहे गये अनुतोष से उनके दर्ज हक व अधिकार प्रभावित नही हो रहे, इसलिए वादग्रस्त कृषि भूमि के दर्ज अन्य सहखातेदार प्रस्तुत वाद में आवश्यक व प्रभावित पक्षकार नही होने से उन्हे प्रस्तुत वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है। वादकारण वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी के पिता पीराराम का फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 243 वादी के भाईयों पारसराम, नेमाराम व श्रवणराम द्वारा दर्ज करवाते समय वादी का घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला नाम पपीया दर्ज करवाने से, तब से राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी के पिता पीराराम के फौतेदगी म्यूटेशन के आधार पर वादी का नाम पपीया दर्ज चला आने से, वादी का सही नाम उसके निजी व सरकारी दस्तावेज के अनुसार पप्पू राम होने से, राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज वादी का अशुद्ध नाम पपीया वादी के निजी व सरकारी दस्तावेज में दर्ज वादी के सही ६ शुद्ध नाम पप्पू राम से मिलान नहीं करने से, जिसकी वजह से वादी को वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में किसी प्रकार की सरकारी सुविधा प्राप्त नही होने से, वादी को वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में उसके घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला दर्ज अशुद्ध नाम पपीया दर्ज होने की जानकारी होने पर वादी द्वारा प्रतिवादी को राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज वादी का अशुद्ध नाम पपीया के स्थान पर वादी के निजी व सरकारी दस्तावेज में दर्ज सही/शुद्ध नाम पप्पू राम के अनुसार दुरूस्त किये जाने हेतु निवेदन करने पर प्रतिवादी द्वारा वादी के निवेदन को दुरूस्ती हेतु सक्षम नहीं होने के आधार पर अस्वीकार करने पर, वादी का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज अशुद्ध नाम पपीया समानसूचक नाम नही होने से वादी अपना समानसूचक/शुद्ध नाम पप्पू राम शुद्ध करवाने का कानूनन अधिकारी होने से बमुकाम् ग्राम बाला, तहसील बिलाड़ा में पैदा हुआ, जो निरन्तर जारी है।

अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम बाला, तहसील बिलाड़ा में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 1073 रकबा 0.5501 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1358 रकबा 1.4400 हैक्टेयर, खसरा संख्या 723 रकबा 3.8913 हैक्टेयर, खसरा संख्या 791 रकबा 1.4319 हैक्टेयर,

खसरा संख्या 973 रकबा 1.3025 हैक्टेयर कुल खसरा संख्या 5 कुल रकबा 8.6158 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 में वादी का घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला दर्ज अशुद्ध/असमानसूचक नाम पपीया पुत्र पिराराम हिस्सा 1/9 जाति सुथार सा. देह खातेदार के स्थान पर सही/शुद्ध/सम्मानसूचक नाम पप्पू राम पुत्र पीराराम हिस्सा 1/9 जाति सुथार सा. देह खातेदार दुरुस्त किये जाने का आदेश/डिक्री फरमावे। मुताबिक आदेश/डिक्री के अनुसार दुरुस्त इन्द्राज दर्ज किये जाने हेतु प्रतिवादी को आदेशित किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उपरोक्त कृषि भूमि में वादी का दर्ज हिस्सा की भूमि पूर्व में वादी के पिता पीराराम पुत्र गुमनाराम के नाम दर्ज थी तथा पीराराम के देहान्त होने पर जरिये विरासत नामान्तकरण में 243 द्वारा वादी के हिस्से की भूमि के नाम वादी दर्ज की गयी। उक्त विरासत नामान्तरकरण में वादी का नाम पपीया दर्ज किया गया। तब से उक्त विरासत नामान्तकरण के आधार पर वादी का नाम वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में पपीया दर्ज चला आ रहा है। वादी का उसके पिता के विरासत नामान्तरकरण के आधार पर राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज नाम पपीया सम्मानसूचक नाम नहीं हैं। वादी का सम्मानसूचक नाम उसके उपरोक्त निजी व सरकारी दस्तावेजों के अनुसार पप्पूराम है। वादी का राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज असम्मानसूचक नाम पपीया के स्थान पर उसके निजी व सरकारी दस्तावेज में दर्ज सम्मानसूचक नाम पप्पूराम दुरुस्त किया जाना उचित है (जिसके संबंध में राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप-6 के परिपत्र क्रमांक 4(1) राज-6/2002/19 जयपुर जवाब के साथ संलग्न)

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि हल्का पटवारी बाला की रिपोर्ट ग्राम बाला के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 में वादी का दर्ज असम्मानसूचक नाम पपीया पुत्र पीराराम के स्थान पर वादी का सम्मानसूचक नाम पप्पूराम पुत्र पीराराम जाति सुथार राजस्व रेकर्ड में शुद्ध किया जाता है तो भूमिधारी को कोई आपति नहीं है। प्रतिवादी की ओर से दावा का खण्डन नहीं होने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र पप्पूराम पुत्र स्व. पीराराम द्वारा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 वादी का आधार कार्ड की प्रति, प्रदर्श 2 वादी का परिचय पत्र की प्रति, प्रदर्श 3 सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की पासबुक की प्रति, प्रदर्श 4 ईण्डेन गैस की डायरी की प्रति, प्रदर्श 5 जल कनेक्शन का बिल, प्रदर्श 6 विद्युत कनेक्शन का बिल आदि प्रदर्शित करवाये गये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 वादी का आधार कार्ड की प्रति, प्रदर्श 2 वादी का निर्वाचन पहचान पत्र की प्रति, प्रदर्श 3 सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की पासबुक की प्रति, प्रदर्श 4 ईण्डेन गैस की डायरी की प्रति, प्रदर्श 5 जल कनेक्शन का बिल, प्रदर्श 6 विद्युत कनेक्शन का बिल की प्रति आदि पेश

किये। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि उपरोक्त दस्तावेजात में वादी का नाम पप्पूराम पुत्र पीराराम दर्ज किया हुआ है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम पपीया पुत्र पीराराम के नाम से दर्ज है। वादी अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही नही कर पा रहा है, इस कारण राजस्व रेकर्ड में वादी अपना नाम पप्पूराम पुत्र पीराराम की घोषणा कराने की अधिकारी है। साथ ही भूमिधारी ने पपीया पुत्र पीराराम के स्थान पर पप्पूराम पुत्र पीराराम किये जाने की सहमति प्रदान की है। इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम बाला के खसरा संख्या 1073 रकबा 0.5501 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1358 रकबा 1.4400 हैक्टेयर, खसरा संख्या 723 रकबा 3.8913 हैक्टेयर, खसरा संख्या 791 रकबा 1.4319 हैक्टेयर, खसरा संख्या 973 रकबा 1.3025 हैक्टेयर कुल खसरा संख्या 5 कुल रकबा 8.6158 हैक्टेयर राजस्व रेकर्ड में पपीया पुत्र पीराराम के स्थान पर पप्पूराम पुत्र पीराराम की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 07/03/22 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

वादी :- **बनाम** **प्रतिवादीगण :-**
पप्पूराम सरकार

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
राजस्व वाद संख्या :- **92/2025**

दिनांक :-09/03/26

निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी सं. 1 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम बाला के खसरा संख्या 1073 रकबा 0.5501 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1358 रकबा 1.4400 हैक्टेयर, खसरा संख्या 723 रकबा 3.8913 हैक्टेयर, खसरा संख्या 791 रकबा 1.4319 हैक्टेयर, खसरा संख्या 973 रकबा 1.3025 हैक्टेयर कुल खसरा संख्या 5 कुल रकबा 8.6158 हैक्टेयर राजस्व रेकर्ड में पपीया पुत्र पीराराम के स्थान पर पप्पूराम पुत्र पीराराम की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज - मुबलिग - बाबत् -

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक -की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा